



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 01.11.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 266/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.10.25 को वादी श्री सौरभ उर्फ मोनू पुत्र राज सिंह नि0 ग्राम तुगाना थाना छपरौली बागपत ने लिखित तहरीर दी की अभियुक्तों 1-मनीष, 2-सन्नी पुत्रगण महिपाल, 3-महीपाल पुत्र अतल सिंह निवासी ग्राम



तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी,डण्डे,तबल द्वारा वादी के चचेरे भाई अंकुश पर जान से मारने की नीयत से प्रहार किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 266/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 266/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मनीष पुत्र महीपाल नि० ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-सन्नी पुत्र महीपाल नि० ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री मेजर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 888 कमल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का० 429 प्रदीप भाटी थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर दिनांक 01.11.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 347/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 03 अवैध तमंचे, ट्यूबवेलों से चोरी किया हुआ सामान तथा दिल्ली से चोरी किये हुए 03 बैटरे व घटना मे प्रयुक्त एक गाडी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.10.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री राजसिंह पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी व अन्य लोगो के ट्यूबवेलों से समरसेबिल का केबिल चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 347/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की



रोकथाम एवं चोरों/पाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 347/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ट्यूबवेलों से चोरी किया हुआ 03 किलो 100 ग्राम कॉपर का तार, रोहिणी दिल्ली से चोरी किये गये जीओ कम्पनी के 03 बैटरे व 03 अवैध तमंचा जिसमे 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .12 बोर तथा घटना मे प्रयुक्त एक गाडी इको न0 यूपी0 15DZ 3675 बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रिजवान पुत्र आस मौहम्मद निवासी कस्बा व थाना जानी कला जनपद मेरठ।
- 2-राशिद पुत्र कबीर निवासी कस्बा व थाना जानी कला जनपद मेरठ।
- 3-वसीम पुत्र सुखखन अली निवासी कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
हाल निवासी ग्राम कुराली थाना जानी जनपद मेरठ।
- 4-सुहैल खांन पुत्र आबाद निवासी खेडे वाली मस्जिद के निकट जोहड के पास कस्बा जानी थाना जानी जनपद मेरठ।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगों ने साथ मिलकर रोहिणी दिल्ली के जियो टावर से बैटरियाँ चोरी की थीं। बरामद कॉपर तार हम चारों ने मिलकर ग्राम सैडभर के जंगल में किसानों के ट्यूबवेलों की केबिल काटकर जलाकर निकाला था। तमंचे हमने लोनी क्षेत्र में एक व्यक्ति से अपनी सुरक्षा के लिए खरीदे थे। आज हम यह सामान हरियाणा किसी कबाड़ी को बेचने जा रहे थे, तभी हम पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 347/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 372/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त राशिद का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 347/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 372/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त वसीम का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 347/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 372/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 347/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

2-मु0अ0सं0 372/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 373/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 03 किलो 100 ग्राम कॉपर तार ।
- 03 बैटरे जीओ कम्पनी । (दिल्ली से चोरी किये हुए)
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर । (अभियुक्त रिजवान के कब्जे से)
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर । (अभियुक्त सुहैल के कब्जे से)
- 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .12 बोर । (अभियुक्त राशिद के कब्जे से)
- एक गाडी इको नं0 UP15DZ3675 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 आरिफ अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 शाहिद अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 कैलाशचन्द थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-उ0नि0 नकुल राठी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

5-है0का0 689 बिपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

6-है0का 896 संजीव कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

7-है0का0 847 राकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

8-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

9-का0 633 जहाँगीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।